

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक प. 1(1) गृह-10/2017

जयपुर, दिनांक 5.07.17

आदेश

राजस्थान राज्य ज्यूडिशियल अकादमी जोधपुर द्वारा दिनांक 09.7.2017 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई एवं गुणवत्ता हेतु एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पदस्थापित विशेष लोक अभियोजक (सहायक निदेशक अभियोजन) को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 09.7.2017 को प्रातः 9.30 बजे राजस्थान राज्य ज्यूडिशियल अकादमी, जोधपुर में कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होवे।

क्र.सं.	नाम अधिकारी	न्यायालय का नाम	मोबाईल न0
1.	श्री संजय सिंह चौहान	डैजिगनेटेड कोर्ट अजमेर	94145-73567
2.	सुश्री अलका गहलोत	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अजमेर	94618-33644
3.	श्री मुरारी लाल शर्मा	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अलवर	80584-72828
4.	श्री लखन लाल मीणा	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर	94143-83396
5.	श्री राजेन्द्र तँवर	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर	94145-00299
6.	श्री पृथ्वीसिंह चुडावत	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाडा	94609-88366
7.	श्री पवन कुमार जोशी	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम गंगानगर	94136-84166
8.	श्री महेन्द्र कुमार व्यास	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्र.सं. 1 जयपुर	94142-74795
9.	श्री संतोष कुमार विजय	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्र.सं. 2 जयपुर	98290-20915
10.	श्री अब्दुल रहमान	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम क्र.सं. 3 जयपुर	94134-70868
11.	श्री नन्दकिशोर सांखला	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर	94144-99173
12.	श्री अहसान अहमद	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा	94608-48010
13.	श्रीमती सुनीता जैन	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पाली	92148-06294
14.	श्री गणेश शंकर तिवाडी	विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर	94142-38854



(देवेन्द्र दीक्षित)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख शासन सचिव विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
2. निदेशक, राजस्थान राज्य ज्यूडिशियल अकादमी जोधपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित न्यायालय।
5. संबंधित सहायक निदेशक अभियोजनो को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि अपने अधिनस्थ विशेष लोक अभियोजक (सहायक निदेशक अभियोजन) को कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने हेतु कार्यमुक्त करें।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश अभियोजन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।



(प्रमोद कौशिक)

उप विधि परामर्शी